

प्रस्ताव की राज्य कम सं0 FP/UP/ROAD/28804/2017

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम सं0 FP/UP/ROAD/28804/2017.

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	आजमगढ़
(iii)	वन प्रभाग	साठवाठ प्रभाग, आजमगढ़
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर)	3.4469 हेक्टर (2.1 हेक्टर आरक्षित 1.3469 हेक्टर संरक्षित)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित एवं संरक्षित वन
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जाय।	संलग्न है
(vii)	हरियाली का घनत्व	0.3
(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	ये भू-भाग भू-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित सील की वन सीमा	प्रस्तावित वनेतर प्रयोग की भूमि आरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य, जीवमंडल आदि का भाग है (यदि हो तो क्षेत्र का व्यौरा तथा मुख्य वन जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं यदि हों / तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातात्त्विक / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थिति है। यदि हों तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं
8	उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के व्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	हां, प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाची रहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	सेहदा आरक्षित वन क्षेत्र से लगी है। 3 खण्डों में है। प्राप्त समतुल्य भूमि 2.1 हेक्टर पर वृक्षारोपण कराया जायेगा। उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अधिकृत अधिकारी, भूमि हस्तांतरण के पत्रांक 2382/यूपीडा/619 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित भूमि के बदले उसके दो गुने अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण साठवाठ प्रभाग, अमेठी के अर्तांगत कराया जायेगा जिसमें आजमगढ़ वन प्रभाग का संरक्षित वन भूमि 2.6938 हेक्टर भी सम्मलित है।

			प्राप्त उक्त पत्र दिनांक 26.10.2017 की प्रति मय संलग्नक सहित प्रेषित है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेत्तर / अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।		संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी के समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।		संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।		आजमगढ़ प्रभाग में 18.303 लाख एवं अमेठी प्रभाग में 4302007.00 रु0
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया		संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)		संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल		
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	4234 वर्ग कि0मी0	
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	110.399 है0	
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	3 मामले, 1.862 है0	
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	29.0 है0	
	(क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	शून्य	
	(ख) वनेत्तर भूमि	29.7 है0	
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	शून्य	
	(क) वन भूमि पर	29.7 है0	
	(ख) वनेत्तर भूमि पर		
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम 2.1 है0 आरक्षित एवं 1.3469 है0 सरकारी वनभूमि का प्रयोग वनेत्तर कार्यों, पूर्वान्वय ऐकप्रेसवे के निर्माण हेतु संस्तुति की जाती है।	

दिनांक : 9 - 11 - 2017

स्थान : आजमगढ़

हस्ताक्षर
अभिभाव निदेशक
सामाजिक कार्यकी प्रधान
सरकारी मोहर